प्रेस नोट
दिनांक 11.06.2025, थाना वजीरगंज
जनपद गोण्डा।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा भय दिखाकर जबरन वसूली करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 174/2025 धारा 308(5), 119(1), 115(2), 352, 351(2), 324(4) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त-01. विशाल सिंह पुत्र भेलर सिंह उर्फ गंगासिंह निवासी ग्राम भगोहर थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा को उसके घर के कुछ दूरी पर ग्राम भगोहर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.06.2025 को वादी सत्यदेव मिश्रा पुत्र स्व0 शिवकुमार मिश्रा निवासी ग्राम चड़ौवा(जलालपुर) थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज को सूचना दी की विपक्षीगण उसके जमीन की दिवाल गिराकर नुकसान कर दिये है और जमीन पर कब्जा कर लिए है। मना करने पर तरह तरह की धमकीया देते हुए 1 लाख रूपये की माँग करने लगे जिससे भय वश उसने जेब में रखा 35000/- रूपये विपक्षी को दे दिया। वादी जब अपनी जमीन देखने गया तो उसे गाली गुप्ता देते हुए मारे पीटे है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0 174/2025 धारा 308(5), 119(1), 115(2), 352, 351(2), 324(4) बीएनएस बनाम विकास सिंह आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 11.06.2025 को नामजद वांछित अभियुक्त-01. विशाल सिंह पुत्र भेलर सिंह उर्फ गंगासिंह निवासी ग्राम भगोहर थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा को उसके घर के कुछ दूरी पर ग्राम भगोहर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विशाल सिंह पुत्र भेलर सिंह उर्फ गंगासिंह निवासी ग्राम भगोहर थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 174/2025 धारा 308(5), 119(1), 115(2), 352, 351(2), 324(4) बीएनएस, थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पंकज यादव
02. का0 मंजीत सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।